आवश्यक

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांकः प. 9( )/रामले/विविध/नकरा.सा./21/ 5109-48 दिनांक : 23/9/21

संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर,
समस्त ।

विषय : अनुपयोगी/नकारा स्टोर्स निस्तारण अभियान के क्रम में ।
प्रसंग : इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 4978-5018 दिनांक 21.09.21

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रांक द्वारा अनुपयोगी/नकारा स्टोर्स के निस्तारण के लिये राज्य सरकार परिपत्र दिनांक 17.09.2021 को पृष्ठांकित किया गया था । इस क्रम में निम्न विस्तृत निर्देश जारी किये जाते हैं –

1. उक्त अनुपयोगी/नकारा स्टोर्स निस्तारण अभियान की प्रगति से आगामी माह की 10 तारीख तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें ।

2. उक्त अभियान के सभी कार्यालाध्यक्ष अपने कार्यालय से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर उसका नाम, पद व मोबाईल नम्बर से तत्काल निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें ।

3. उक्त अभियान हेतु Survey & Inspection का कार्य अतिशीध्र पूर्ण कर दिनांक 31.10.2021 तक मय रिपोर्ट की एक प्रति के साथ निम्नहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें ।

4. इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि 10.00 लाख एवं उससे अधिक के सामान के लिये मण्डल मुख्यालय पर लेखाधिकारी एवं संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर कार्यालय हेतु वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय नामित होंगें, लेकिन राशि रु. 15.00 लाख से अधिक के सामान के लिये सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय को नामित नहीं किया जावे ।

इन निर्देशों के अलावा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 17.09.2021 में दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे ।

भवदीय,

22-9-21

अतिरिक्त निबन्धक(वित्त एवं लेखा)
राजस्व मण्डल, राज.अजमेर

क्रमांकः प. 9( )/रामले/विविध/नकरा.सा./21/ दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग, राज. जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–2), राज. जयपुर ।
3. कार्यालाध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राज. अजमेर ।

अतिरिक्त निबन्धक(वित्त एवं लेखा)
राजस्व मण्डल, राज.अजमेर